न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 35/2018 (उदयपुर आर्डर)

रमेश कलाल पिता श्री भीमराज कलाल, विकलांग, निवासी गींगली, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
जिला कलक्टर उदयपुर क्रमांक प.12/3
(26)राज/आंव/18/547-50 दि0 8.2.2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री पी. सी. पानेरी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 28–11–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.12/3(26)राज/आंव/18/547–50 दिनांक 08–02–2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर के प्रस्ताव के आधार पर ग्राम लौदा की बिलानाम गैर काबिल काश्त एवं बिलानाम काबिल काश्त आराजी नंबर 1911 रकबा 0.43 हैक्टर में से 0.34 हैक्टर तथा आराजी नंबर 3266/1911 रकबा 1.08 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.51 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर भूमि तहसील गोगुन्दा के भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13–02–2001 व 01–05–2017 के तहत निःशुल्क आवंटत की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08–02–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय में यह अपील 13–04–2018 को प्रस्तुत की गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदेश की उसे प्रथम बार ज्ञान दिनांक 25–02–2018 को पटवारी हल्का द्वारा हुआ तो उसने नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। अतएवं अपीलान्ट/प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं में पक्षकार नहीं होने, अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में अत्यल्प विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, इस कारण उसके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, जबकि विवादित भूमि पर कब्जा अपीलान्ट/प्रार्थी का होकर उसकी फसल खड़ी है एवं चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि क्रय किये जाने से एवं अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने से भवन निर्माण किये जाने हेतु राज्य सरकार में सरेण्डर किये जाने से बिलानाम सरकार घोषित की गयी है, उसे किसी अन्य काम के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता। उक्त आवंटन से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे है अतएवं उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जैसा कि उसने अपील मीमों में उजर उठाये हैं कि पूर्व खातेदार द्वारा उक्त जमीन को तहसील सलुम्बर में सरेण्डर 2009 में कर दिया गया था एवं अपीलान्ट/प्रार्थी ने भारी लागत लगाकर भूमि को काश्त योग्य बताया है तथा उसका कब्जा है।

प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थी को यह प्रमाणित करवाना था कि वह इस प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है। उसमें द्वारा आवेदन में किये गये कथनानुसार उसका आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होना

नहीं पाया जाता है। इस जमीन पर उसने अपना कब्जा होना बताया है, किन्तु कब्जे बाबत् भी कोई साक्ष्य उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है, जबकि भूमियां बिलानाम दर्ज हैं। यदि एक क्षण के लिए उसका कब्जा माना भी जावे तो बिलानाम भूमियों पर उसके कब्जे का कोई विधिक महत्व नहीं है, क्योंकि अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है।

अपीलान्ट ने अन्य उजर यह उठाया कि भूमियां उसके द्वारा क्रय किये जाने से तथा प्रार्थी/अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होकर उसके द्वारा भूमि सरेण्डर किये जाने से बिलानाम घोषित की गयी है, उसे अन्य किसी काम के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता।

उक्त भूमि किसकी खातेदारी में रही है तथा उसके द्वारा भूमि किससे क्रय की गयी है ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है, न भी भूमि सरेण्डर किये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध है। भूमियां स्पष्ट रूप से बिलानाम दर्ज हैं तथा उस पर अपीलान्ट का कब्जा होने की कोई साक्ष्य नहीं है। यदि एक क्षण के लिए उसका कब्जा मान भी लिया जाये तो भी उसका कोई विधिक महत्व नहीं है, क्योंकि अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। अतएवं प्रकरण में अपीलान्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। तद्नुसार दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएवं अपीलान्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाता है एवं दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज होने से अपील भी पोषणीय नहीं रहने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08–02–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर